चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 10.08.2023

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 09 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौडगढ, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक) में नगरीय निकायों के 10 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2023 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 04.08.2023 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालवत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें। उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 2653 दिनांक 25.07.2023 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सम्भागीय आयुक्त अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर।

1\. जिला कलक्टर अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौडगढ, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक ।

15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
19. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
20. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid
Digitally signed by Shelly Kishnani
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2023.08.10 16:40:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4469586

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2023/2653 दिनांकः– 25/07/23

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह अगस्त, 2023 – चुनाव हेतु कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों में नगरीय निकायों के 11 सदस्यों एवं 01 सभापति के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 04.08.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 20.08.2023 को होगा। मतगणना दिनांक 21.08.2023 को होगी। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका संलग्न है।

संलग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका।

AS.2
31/7/23

भवदीय,
25/7
(नारायण सिंह)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

Suraj
01/08/23

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2023_bye-election , 2023.doc
54

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकाय सदस्यों के उप चुनाव माह अगस्त, 2023 – उप चुनाव कार्यक्रम

➢ **सदस्य पद के लिए**

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.08.2023 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	08.08.2023 (मंगलवार) **प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (दिनांक 06.08.2023 (रविवार) को छोडकर)**
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	10.08.2023 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	12.08.2023 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	14.08.2023 (सोमवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.08.2023 (रविवार) प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	21.08.2023 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ **सभापति के लिए**

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	22.08.2023 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23.08.2023 (बुधवार) **प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक**
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	24.08.2023 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	25.08.2023 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	25.08.2023 (शुक्रवार) **(अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)**
6.	मतदान की तिथि एवं समय	28.08.2023 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	28.08.2023 (सोमवार) **मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्**

143

परिशिष्ट–'अ'

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उप चुनाव माह अगस्त, 2023 – उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण	रिक्त अध्यक्षीय पद का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प. ब्यावर	33	–
2.	अलवर	2.	न.प. अलवर	20	सभापति
3.	बांसवाडा	3.	न.प. बांसवाडा	33	–
4.	भरतपुर	4.	न.नि. भरतपुर	55	–
5.	बून्दी	5.	न.पा. इन्द्रगढ	04	–
6.	चित्तौड़गढ़	6.	न.पा. बड़ीसादड़ी	07	–
7.	जालोर	7.	न.पा. भीनमाल	37	–
8.	नागौर	8.	न.पा. कुचेरा	18	–
		9.	न.पा. कुचामनसिटी	16	–
9.	सवाई माधोपुर	10.	न.प. सवाई माधोपुर	22	–
10.	टोंक	11.	न.पा. उनियारा	02	–

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2023_bye-election , 2023.doc
34